the issue raised by hon. Member, Shri P. Wilson: Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Demand to broaden the Kalka to Shimla railway line

डा. सिकंदर कुमार (मध्य प्रदेश): महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलवे यातायात की बात करें, तो अभी भी मध्य हिमाचल में रेल यातायात की सुविधा न के बराबर है। महोदय, हिमाचल की ब्रिटिशकालीन रेलवे लाईन के संबंध में आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 1903 से लेकर आज तक ब्रिटिश कालीन इस नैरोगेज रेलवे लाईन कालका से शिमला पर यातायात जारी है। इस रेलमार्ग में 103 सुरंगें व 869 पुल बने हैं। इस रेलमार्ग में ट्रेन तीखे मोड़ों से गुजरती है। इस रेलमार्ग को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है और देश-विदेश से सैलानी इस रेलमार्ग पर सफर का आनंद लेते हैं। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लाखों-करोड़ों सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आते हैं। इस रेलमार्ग को ब्रॉडगेज करने की मांग काफी समय से लम्बित है। अतः आपसे आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस रेलमार्ग कालका से शिमला को अविलंब ब्रॉडगेज किया जाए। महोदय, भले ही इस ट्रैक को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, लेकिन 121 वर्ष पुराने इस ट्रैक पर कई खामियां भी हैं। इस ट्रैक पर बने कई पुल कई जगह इतने जर्जर हो चुके हैं कि स्वयं रेलवे को खतरा लिखकर चेतावनी देनी पड़ रही है। इस रेलमार्ग पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी बहुत ज्यादा अभाव है। अतः सरकार से आग्रह है कि इस रेलमार्ग का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि इस रेलमार्ग पर सफर करने वाले लोगों व सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और किसी अनचाही घटना से भी बचा जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Lakshmikant Bajpayee (Uttar Pradesh) and Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat).

Demand to stop levying penalty for not maintaining minimum balance in savings account

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : महोदय, बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलते हैं। इस दंड से बचने के लिए आपके बचत खाते में न्यूनतम राशि की अनिवार्यता होनी जरूरी है। अगर आपके बचत खाते में एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) बैंक द्वारा तय की गई राशि से कम होता है तो आपसे जुर्माना वसूला जाता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम बैलेंस वाले